बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति,कल्याण विभाग
सं0–1/पी0सी0आर0 (विविध)09–05/12(खण्ड)– 537

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 11.03.13

विषय– **अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2011 के नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव का पत्रांक–258 दिनांक–08.02.2013 का संदर्भ करें।

2– अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक–26–10–2012 में माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा विभिन्न नियमों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये थे:–

(क) सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम–2011 के तहत नियम 12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलातसंग, सामूहिक बलातसंग, गैंग द्वारा किया गया बलातसंग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित के मामलों में भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार धटित होने की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से करने का प्रावधान किया जाय :–

(I) अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को ₹ 3,000/– प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा ।

(II) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए।

(III) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहू दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था की जाये।

(ख) उक्त नियम 1995 के नियम–17 के आलोक में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक की जाय। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ जिलों में इस समिति की नियमित बैठकें आयोजित नहीं हो रही है। राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति में प्राप्त निदेश के आलोक में इस समिति की बैठक का पाक्षिक रोस्टर (पन्द्रह दिन) निम्नांकित रूप से निर्धारित की जाती है:–

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की अवधि :–

जनवरी – मार्च	1 से 15 फरवरी, 2013 के बीच (पूर्व में निर्धारित)
अप्रैल – जून	1 से 15 मई, 2013 के बीच
जुलाई – सितम्बर	1 से 15 अगस्त, 2013 के बीच
अक्टूबर – दिसम्बर	1 से 15 नवम्बर , 2013 के बीच

1

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–40 दिनांक–02–01–2007 द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम 10 के अन्तर्गत जिला स्तर पर अपर समाहर्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारी को सौंपी गयी जिम्मेवारियों का निवर्हन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उनक़े कार्यो की प्रत्येक माह गहन समीक्षा करते हुए उनके कार्यकलाप के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

नामित विशेष पदाधिकारी, का नाम, पदनाम, दूरभाष संख्या इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ध) उक्त नियम–1995 के नियम–11 के तहत अत्याचार से पीडित व्यक्ति, उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण–पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं दिये जाने हेतु राशि की मांग विभाग को भेजा जाये।

3– जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में नियम– 4(2) के अनुपालन में आपके स्तर से विशेष लोक अभियोजकों के कार्यपालन का पुर्नविलोकन नियमित रूप से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई माह में करते हुए राज्य सरकार को भेजना सुनिश्चित करेगें।

वर्णित स्थिति में कृपया सुनिश्चित करें कि विषयांकित नियम के नियम–4(2), 10, 11, 12(4) एवं 17 के आलोक में जिला स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा किया जाय। साथ ही किये गये कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन ई–मेल secy-welfare-bih@nic.in अथवा फैक्स संख्या–0612–2217251/2215265 पर विभाग को दिनांक–15.05.2013 तक अवश्य भेज दिया जाय।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0 (विविध)09–05/12(खण्ड)– 537 पटना, दिनांक– 11·03·13

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विशेष पदाधिकारी(अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी विशेष लोक अभियोजको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
9/3/13

ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0 (विविध)09–05/12(खण्ड)– 537 पटना, दिनांक– 11/03/13

प्रतिलिपि– सचिव, गृह विभाग/सचिव, विधि विभाग/निदेशक, अभियोजन गृह (मद्य) विभाग, बिहार, पटना/पूलिस निरीक्षक(क0व0) अपराध अनुसंधान वर्ग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
9/3/13

Rameshwar babu sanjay